

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /एफ ०३-५१/२०१७/२६-२
प्रति,

भोपाल, दिनांक २३/१२/२०१७

१. समस्त कलेक्टर म.प्र
२. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी म.प्र.
३. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत म.प्र

विषय— “समाधान एक दिन—तत्काल सेवा” व्यवस्था के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS**) स्वीकृत करने विषयक।**

१. **सेवा का उद्देश्य—** तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (**IGNWPS**) स्वीकृत करने के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 300 रु. प्रतिमाह पेंशन हितग्राही के खाते में प्रदाय की जाती है।

२. **पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा —**

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा १ दिवस

३. **पात्रता के मापदंड —**

- आवेदिका की आयु **४०** वर्ष से **७९** वर्ष होगी।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

४. **आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया—**

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रक्रिया
१	आयु प्रमाण पत्र (निम्न में से कोई एक) <ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची ● जन्म प्रमाणपत्र ● मतदाता सूची ● स्वयं का मतदाता परिचय पत्र ● मनरेगा जॉब कार्ड ● चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र ● उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र 	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
२	आवेदिका का पासपोर्ट साईज का एक	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार